

3.3.22

पञ्चावली पेश हुई। प्राची व प्राची वकील
कोई उपस्थित नहीं आए। प्राची व प्राची
अधिवक्ता को न्यायालय समय तक
बार-आवाज लगावारी गई। किन्ती
अनुपस्थित रहे। तथा नाही अधिवक्ता
की तलवी कराई गई।

आतः पञ्चावली अदम हाजरी, अदम पहरी
एवं अनार्गत आदेश 09 नियम 05 के
तहत खारिज की जाती है, पञ्चावली
फैसल शुभा होकर नम्बर से कम होकर
आखिल दफतर हो। निर्णय लिखा जावे
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

